

14/12/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनापरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधनिक अवधि एक वर्ष की है। उभय पक्ष की आर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

14/12/2020
अनुमंडल दफ्तराधिकारी,

गाड़।

14/12/2020
अनुमंडल दफ्तराधिकारी,
गाड़।